अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर, शाहजहॉपुर
परिवाद सं0–1475/2020

मोहम्मद हसीब बनम मोहम्मद जिलानी आदि।
थाना–कटरा।
जिला–शाहजहांपुर।

दिनांक–07.04.2021

पत्रावली पेश हुई। आज पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

संक्षेप में परिवाद कथानक है कि प्रार्थी का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शबाना आजमी पुत्री श्री मोहम्मद जिलानी, नि0मो0 वासिल, थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत के साथ दिनांक 03.11.2019 को सम्पन्न हुआ था तथा बाद शादी प्रार्थी की पत्नी विदा होकर प्रार्थी के घर आयी। प्रार्थी ने पत्नी को किसी बात कभी कोई परेशानी नहीं होने दी, लेकिन प्रार्थी की पत्नी का झुकाब शुरू से ही अपने मायके वालों की तरफ रहा है। प्रार्थी की पत्नी के मायके वाले आये दिन प्रार्थी के घर पर बने रहते है। शबाना अपने मायके वालो के कहने में चलती है। मेरे पारिवारिक कार्यों व व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। प्रार्थी अपने पिता का अकेला पुत्र है तथा प्रार्थी की पत्नी ने पी0जी0डी0सी0ए0 तथा डी0एल0एड0 किया हुआ है। प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी को अपने मायके में रहने को कहती है। प्रार्थी ने अपनी पत्नी को काफी समझाया तथा माताजी भी बीमा रहती है, जिस कारण वह अपना घर छोड़कर कही नहीं जा सकता है, परन्तु मेरी पत्नी की समझ में कुछ भी नहीं आया तथा वह अपने मायके में रहने की जिद्द पर अड़ी रही। दिनांक 02.03.2020 को मेरी पत्नी ने अनी मर्जी से अपने पिता व भाई मो0 नईम को बुलाया और नाराज होकर कीमती जेवरात और कपड़े लेकर अपने मायके चली गयी और काफी बुलाने पर भी नहीं आयी। प्रार्थी का चचेरा भाई उसे लेने गया लेकिन उसे वही पर बंधक बनाकर जबरिया कुछ सादा कागजातों पर अपने मन माफिक लिखवाकर हस्ताक्षर करा लिये। दिनांक 04.10.2020 को दोपहर 12.00 बजे दिन मेरी पत्नी शबाना आजमी व उसके पिता मो0 जिलानी व उसके भाई मो0 नसीम व एक अज्ञात व्यक्ति को लेकर मेरे घर आये। मैंने सभी का आदर सत्कार किया, परन्तु उपरोक्त लोगों की नियत ठीक नहीं थी तथा यह सभी लोग मेरी सेफ अलमारी व फर्नीचर व अन्य कीमती सामान घर से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे मैंने विरोध किया, तो मो0 जिलानी व मो0 नसीम व अज्ञात व्यक्ति मुझे मेरे घर के अंदर ही पकड़कर लात–घूसों से मारने पीटने लगे। शोर शराबा की आवाज पर पड़ोसी सौधान सिंह पुत्र मान सिंह व अकील अहमद व अन्य कई लोग मौके पर आ गये। जिन्होंने बचाने का प्रयास किया तो मो0 नसीम ने तमंचा तानते हुए कहा कि सालों कोई आगे बढ़ा तो जान से मार देंगे। उपरोक्त लोगों ने मेरी माताजी का एक हार सोने का वजन 04 तोला व चार चूड़ी सोने की वनज 04 तोला व एक चैन, बिछुआ बजन आधा किलो व घरेलू कार्य व माताजी के इलाज हेतु रखे 50,000/–रूपये नगद को लूट लिया और पूरी लूट मार कर, जाते समय बोले कि सालों कही कोई कार्यवाही की तो तुझे व तेरे परिवार के विरूद्ध दहेज प्रथा व अन्य कई मुकदमें लिखवाकर जेल भिजवा देंगे। उपरोक्त लोगो ने मेरे साथ गाली–गलौज भी किया और जान से मारने की धमकी भी दी। माल जेवर बेंचकर और तुझे तलाक लेकर उसका किसी पढ़े–लिखे दूसरे लड़के के साथ निकाह कर देंगे। उपरोक्त घटना में मेरी पत्नी का भी हाथ रहा है। थाना कटरा और पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थनापत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में वाद कथानक का समर्थन किया है तथा उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्लू0–1 मो0 अकील एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 सौदान सिंह ने अपने बयान अतंर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 में परिवादी के कथन का समर्थन किया है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में केवल मोहम्मद नसीम द्वारा प्रार्थी के घर पर आकर माताजी के माल–जेवर, माता के इलाज हेतु रखे 50,000/–रूपये व विरोध करने पर प्रार्थी के साथ मारपीट करने के लिए नाम अंकित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जब कि परिवादी द्वारा केवल मोहम्मद नसीम के खिलाफ ही घटना को कारित करने का वर्णन किया है। अतः इस आधार पर विपक्षी **मोहम्मद नसीम** को **धारा–323 भा0द0सं0** में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **मोहम्मद नसीम** को अतंर्गत **धारा–323 भा0द0सं0** में तलब किया जाता है। अभियुक्त जरिये समन दिनांक–06.05.2021 के लिए तलब हो।

अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0,
तिलहर, शाहजहॉपुर।